

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 26, 1973/माघ 6, 1894

No. 20] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 26, 1973/MAGHA 6, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th January 1973

No. A-21021/6/72-Ad.III-B.—The President is pleased on the occasion of Republic Day, 1973, to award an Appreciation Certificate for exceptionally meritorious service rendered when undertaking a task at the risk of his life to:—

Shri Dalpatsinh Ramjibhai Parmar, Inspector of Customs & Central Excise, Collectorate of Central Excise, Ahmedabad.

Statement of services for which the Certificate is awarded.

On 21st November, 1972, he risked his life on the open sea against seasoned smugglers whom he chased and arrested with only two Sepoys and the crew of his vessel. While patrolling in the sea in the Gulf of Kutch, he spotted one speeding launch at a far distance in the sea and as soon as he found that it was not a vessel of light cargo, he chased the vessel and the chase was continued from 1100 hrs to 1800 hrs on 21st November, 1972. He had to open fire several times to stop the escaping vessel. Ultimately, in spite of the dangers involved, he daringly intercepted the smugglers' vessel with 11 persons on board and with 264 packages

of contraband goods valued at Rs. 34,64,901.50. He took custody of all 11 persons alone and towed the launch with the goods and the smugglers to Okha after 12 hrs. voyaging in the sea during the night, only with a skeleton of armed staff. In effecting the seizure Shri Parmar exhibited extraordinary presence of mind, leadership, exemplary courage and bravery regardless of personal danger to life.

During the war with Pakistan in December, 1971, on the request of the Naval authorities, the departmental vessel M.S.V. Durgawati, with its crew, was placed at the disposal of the defence authorities to assist them in an attempt to rescue one of the pilot officers who was suspected to have bailed out in Khaiber Creek near Karachi on 5th December, 1971. Shri Parmar proceeded in the disguised Customs dhow for picking up I.A.F. crew regardless of the dangers in enemy waters and successfully carried out the mission.

2. The award is made under clause (a)(1) of para I of the Scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs and Central Excise Departments published in Part I, Section 1, of the Gazette of India Extraordinary Notification No. 12/139/59-Ad. III-B dated the 5th November, 1962, as amended from time to time and carries with it a monetary allowance at the rate of Rs. 40 p.m. for a period of Five years from 26th January, 1973 to 25th January, 1978.

विस्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अभिलेखनाएं

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1973

सं० ए-21021/6/72 प्रशा० III-ख.—राष्ट्रपति जी, गणतंत्र दिवस, 1973 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारी को, उनकी उस प्रसाधारण, प्रशस्ति सेवा के लिए, जो उन्होंने अपने जीवन की भी खतरों में डाल कर की, यह प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान करने हैं :

श्री दलपत सिंह रामजी भाई परमार,

निरीक्षक, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क

समाहर्ता-कार्यालय, अहमदाबाद ।

जिन सेवाओं के लिए प्रमाण-पत्र दिया गया उनका विवरण

उन्होंने 21 नवम्बर, 1972 को खूले समुद्र में अनुभवी तस्कण व्यापारियों के सामने अपने जीवन को खतरों में डाला, उनका पीछा किया और केवल दो सिपाहियों तथा अपने जलयान के कर्मीदल की सहायता में उन्हें गिरफ्तार किया । जब वह कच्छ की खाड़ी में समुद्र में गश्त लगा रहे थे तो उन्हें समुद्र से बहुत दूर तेज रफ्तार में जाती हुई एक लांच दिखायी दी और जैसे ही उन्हें यह पता चला कि लांच में वैध माल नहीं है उन्होंने उसका पीछा किया और वह 21-11-1972 को प्रातः 11 बजे से सांय 6 बजे तक उसका पीछा करते रहे । उस भागते हुए जलयान को रोकने के लिए उन्हें कई बार गोली चलानी पड़ी । आखिरकार, इस काम में अन्तर्ग्रस्त खतरों के बावजूद, उन्होंने साहस के साथ तस्कण व्यापारियों के जलयान को रोका जिसमें 11 व्यक्ति सवार थे और 34,64,901.50 रु० मूल्य के अवैध माल के 264 पैकेज थे । उन्होंने अकेले ही 11 व्यक्तियों को हिरासत में रखा और बहुत थोड़े से मशमूक कर्मचारियों के साथ रात को समुद्र में यात्रा करते हुए 12 घंटों के बाद माल सहित लांच तथा तस्कण-व्यापारियों को दस्ती कर आँखा पहुंचाया । उसने तस्कण-व्यापारियों को पकड़ने में श्री परमार ने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए उत्पन्न संकट की पूर्वाह्न न करने हुए, प्रसाधारण प्रशस्ति, संकल्प, अनुकरणीय साहस एवं शौर्य का परिचय दिया ।

दिसम्बर 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान नौ-सेना प्राधिकारियों के अनुरोध पर विभागीय जलयान एम०एस०वी० दुर्गावती और उसका कर्मीवल रक्षा प्राधिकारियों के सुपुर्द किया गया ताकि वे उस विमान चालक अधिकारी के जीवन को बचाने के प्रयत्न में रक्षा प्राधिकारियों की सहायता कर सकें जिसके बारे में यह संदेह था कि वह 5 दिसम्बर 1971 को कराची के निकट खैबर जलपट्टी में छतरी से उतर गया था। भारतीय वायु-सेना के कर्मीदल को समुद्र से बाहर निकालने के लिए श्री परमार, शत्रु की समुद्री सीमा में संकट की परवाह न करते हुए, सीमाशुल्क विभाग की छद्मवेशी डौ (Dhow) में आगे बढ़े और उन्होंने सफलतापूर्वक अपने उद्देश्य को पूरा किया।

2. यह पुरस्कार, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार देने संबंधी, समय-समय पर यथा संशोधित, योजना की कंडिका (क) (i) के अन्तर्गत दिया जाता है जो भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I, खंड 1 में अधिसूचना न० 12/139/59-प्रशा० III-ख, दिनांक 5 नवम्बर 1962 के रूप में प्रकाशित हुई थी। इस पुरस्कार के साथ 26-1-73 से 25-1-78 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए 10,00 रु० प्रतिमास की दर से तकद भत्ता देने की व्यवस्था है।

No. A-21021/6/72-Ad.III-B.—The President is pleased, on the occasion of Republic Day, 1973, to award an Appreciation Certificate for specially distinguished record of service to each of the undermentioned officers of the Customs and Central Excise Departments:—

1. Shri Bhalachandra Shantaram Bawdekar, Appraiser, Special Investigation and Intelligence Branch, Customs Department, Bombay.
2. Shri H. C. Multreja, Customs Inspector (Preventive), Customs Department, Bombay.
3. Shri A. Kanthimathinathan, Superintendent of Central Excise, Collectorate of Central Excise, Madurai.

2. These awards are made under clause (a)(ii) of para I of the Scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs and Central Excise Departments, published in Part I, Section I, of the Gazette of India Extraordinary Notification No. 12/139/59-Ad. III-B, dated the 5th November, 1962, as amended from time to time.

M. G. ABROL, Jr. Secy.

सं० ए-21026/6/72 प्रशा० III-ख.—राष्ट्रपति जी, गणतन्त्र दिवस, 1973 के अवसर पर, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभागों के निम्नलिखित अधिकारियों की उनकी प्रति विशिष्ट सेवाओं के लिए यह प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं :—

1. श्री भालचन्द्र शान्तराम बावडेकर,
अप्रेक्षर, विशेष जांच-पड़ताल तथा
गुप्त सूचना शाखा,
सीमा-शुल्क विभाग, बम्बई।
2. श्री एच० सी० मुत्तेजा,
सीमा-शुल्क निरीक्षक (निवारक),
सीमा-शुल्क विभाग, बम्बई।
3. श्री ए० कान्तिमतिनाथन्,
अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क,
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्ता-कार्यालय,
मद्रास।

2. ये पुरस्कार सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभागों के अधिकारियों और कमेचरिया का पुरस्कार देने संबंधी समय-समय पर यथा संशोधित योजना की कण्डिका 1 के खण्ड (क) (i) के अन्तर्गत दिये जाते हैं, जो भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 1 खण्ड 1 में अधिसूचना सं० 12/139/89-प्रणा० III-(ख), दिनांक 5 नवम्बर, 1962 के रूप में प्रकाशित हुई थी।

एम० जी० अग्रवाल,
संबुक्त सचिव, भारत सरकार।